प्रा.पत्र 131/2019 सूरजमल व अन्य बनाम महाविकास अन्य

26-12-19 वकील फर्की द्वारा मूलवाद के प्रार्थना-पत्र पत्रावली तलब करने का पेश करने पर पत्रावली तलब की गई मूलवाद पश्चात्वर्ती संशोधन होने से पेश किया गया है प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने का अवकाश कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं रहते हैं प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने से खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर पत्रावली तकमील परस्तुत।

उप-खण्ड अधिकारी,
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ghanshyam Sharma
Date: 2020.02.15 14:00:35 IST
Reason: SelfAttested